

कार्यालय समाहर्ता, मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ।

“गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र”

इस कार्यालय के पत्र संख्या 13233-34 दिनांक 20-03-2015 द्वारा जारी गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र के क्रमांक में हरिजन बस्ती कलेहडी लिंक सडक के निर्माण हेतु निम्न भूमि बारे गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

क्रमांक	मुहाल का नाम	खसरा नं०	रक्वा हैक० में	किस्म भूमि
1.	कलेहडी/534	347/1 349/1 638/299/1 298/1 280/1 266/1 253/1 248/1 251/1 282/1 281/1 455/1 234/1 233/1 440 441	0-01-25 हैक० 0-03-61 हैक० 0-00-86 हैक० 0-02-30 हैक० 0-00-39 हैक० 0-01-37 हैक० 0-02-52 हैक० 0-00-20 हैक० 0-09-26 हैक० 0-01-05 हैक० 0-01-69 हैक० 0-00-30 हैक० 0-01-24 हैक० 0-01-12 हैक० 0-08-97 हैक० 0-18-92 हैक०	चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान गैर मुमकिन नाली चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान गैर मुमकिन नाली चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान गैर मुमकिन गोहर गैर मुमकिन रास्ता
2	ठाणा/535	138/1 142/1 143/1	0-04-90 हैक० 0-00-64 हैक० 0-00-64 हैक०	चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान चरागाह बिला द्रख्तान
		कुल किता 19	0-61-23 हैक०	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मुहाल कलेहडी/534, ठाणा/535, कुल किता 19 रक्वा 0-61-23 हैक० तहसील बलदाडा, जिला मण्डी मे हरिजन बस्ती कलेहडी लिंक सडक के निर्माण हेतु कोई गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 13233-34 दिनांक 20-03-2015 द्वारा जारी गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है ।

क्रमांक: उपरोक्त-
प्रतिलिपि निम्नलिखित :

1. उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) सरकाघाट, जिला मण्डी को गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
2. सहायक अभियन्ता हि० प्र० लो० निर्माण उप-मण्डल बलदाडा, जिला मण्डी को गैर वन भूमि अपर्याप्ता प्रमाण पत्र उनके कार्यालय पत्र संख्या 4042-43 दिनांक 08-03-2016 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

समाहर्ता,
मण्डी, जिला मण्डी ।
दिनांक: 14/3/16

समाहर्ता,
मण्डी, जिला मण्डी ।